

**अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,  
व इजलास अभिलाषा , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 142/2024

**वादीगण-**

1. धर्माराम पुत्र रामदीन
2. धनश्याम पुत्र दुर्गाराम
3. पूनमचंद पुत्र दुर्गाराम
4. बुधराम पुत्र मेघाराम
5. सीता देवी पत्नी मेघाराम

जातियान- मेघवाल , निवासी धारणा , तहसील-जायल, जिला-नागौर।

**बनाम**

**प्रतिवादीगण -**

1. केली उर्फ केलकी पुत्री रामदीन
2. गीता पुत्री रामदीन
3. पतासी पुत्री रामदीन
4. बसन्ती पुत्री रामदीन
5. लाभु उर्फ सबुडीदेवी पुत्री रामदीन
6. सुगना उर्फ सुगनाई पुत्री रामदीन
7. अमरू उर्फ अमरी पुत्री दुर्गाराम
8. दमु उर्फ दमयंती पुत्री मेघाराम
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह।

**उपस्थिति :-**

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह राठौड़
3. प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित

**दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**- : : डिक्री आदेश : : -**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि- पक्षकारान्/सहखातेदारान् के मध्य मौजा धारणा के खाता संख्या 112 सम्बत् 2073-2076 में खेत खसरा नंबर 100 रकबा 3.1646 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 36 रकबा 1.8777 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 92 रकबा 2.4443 हैक्टेयर कुल रकबा 7.4866 हैक्टेयर एवं मौजा धारणा के खाता संख्या 715 में वर्णित खसरा नंबर 1366/101 रकबा 0.4856 हैक्टेयर मुतदाविया भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मध्य माफिक

सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं राजीनामा के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 धर्माराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा धारणा के खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 1.8777 हैक्टेयर में से 0.1619 हैक्टेयर उत्तरी पूर्वी कोना माफिक नजरीनकशानुसार एवं खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 3.1646 हैक्टेयर में से 2.5090 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
  2. वादी संख्या 2 व 3 कमश: धनश्याम एवं पूनमचंद के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा धारणा के खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 1.8777 हैक्टेयर में से 0.2428 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी कोना माफिक नजरीनकशानुसार एवं खेत खसरा नम्बर 92 रकबा 2.4443 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
  3. वादी संख्या 4 व 5 कमश बुधाराम एवं सीतादेवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा धारणा के खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 1.8777 हैक्टेयर में से 1.4730 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार एवं खेत खसरा नम्बर 1366/101 रकबा 0.4856 हैक्टेयर पूरा, तथा खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 3.1646 हैक्टेयर में से 0.6556 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनकशा अनुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
  4. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के अन्य चल अचल सम्पतियां व जेवरात बंट में आने से उक्त खेतारों में से कोई भी भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
  5. नजरीनकशा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
  6. बैंक के रहन खसरानु के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।
- निर्णय आज दिनांक .....29.11.24..... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
जयपुर  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल - (नागौर)